न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/249

मोहन लाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवीस सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज किशन गोपाल ।
2. सत्यनारायण आत्मज किशन गोपाल ।
3. महावीर प्रसाद आत्मज किशन गोपाल ।
4. रामधनी बेवा किशन गोपाल ।
5. कान्ति बाई पुत्री किशन गोपाल ।
6. शांति बाई पुत्री किशन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. मंगीलाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवासी सोहन खेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री किशन अग्रवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 12 किता की 52 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिससा एवं

प्रतिवादीगण कम 1 मांगीलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 2 मोहन लाल का 1/3 हिस्सा निहित है । पक्षकारान ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है परन्तु प्रतिवादीगण कम 1 व 2 वादीगण को उनके हिस्से के मुताबिक भूमि काश्त नहीं करने देते हैं। वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि पृथक से अपने खाते दर्ज करावे तथा लगान पृथक कायम करावें ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का खाता बंटवारा किया जाकर वादीगण के अलग खाते दर्ज किया जावे एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 के अलग खाते दर्ज किया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं बंटवारे अनुसार ही वादीगण को दखल दिया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में प्राप्त भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दें । उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2014 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पिता व दादा चतुर्भुज जी की थी बाद में उनकी मृत्यु के बाद चारों पुत्रों के नाम दर्ज हुई और चारों पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो गया और तब से ही अपीलान्ट स्वयं के 1/4 हिस्से व अपने भाई रामस्वरूप के 1/4 हिस्से अर्थात् 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का काउन्टरक्लेम खारिज कर दिया । रामस्वरूप दोनों हाथ एंव दोनों पैरों से विकलांग था और उसकी सेवा सुश्रूषा अपीलान्ट ही करता था इस कारण अपीलान्ट ही रामस्वरूप के हिस्से की भूमि को काश्त करता था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.08.2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और दिनांक 15.09.2014 को नकल प्राप्त हुई उसके बाद रूपयों का इंतजाम कर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जिसमें कथन किया कि वादी का 1/3 और प्रतिवादी कम 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा है जिसका विभाजन करने की प्रार्थना की थी । इसका जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि रामस्वरूप (मृतक) प्रतिवादी कम 2 के पास ही रहता था । रामस्वरूप के हिस्से की आराजी पर 35 वर्षों से प्रतिवादी कम 2 ही काश्त करता आ रहा है इस कारण प्रतिवादी कम 2 रामस्वरूप के हिस्से की भूमि को प्रापत करने का अधिकारी है इस कारण प्रतिवादी कम 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे और अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम को अस्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में 1/3 – 1/3 हिस्से की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/4 हिस्से के अनुसार विभाजन 45 वर्ष पूर्व हो गया था और प्रतिवादी कम 2 का 1/2 हिस्सा 45 वर्षों से चला आ रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज है । 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 मांगीलाल का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 मोहन लाल का हिस्सा दर्ज है । बिना किसी विधिक दस्तावेज के प्रतिवादी कम 2 को 1/2 हिस्सा प्रदान नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नही की गई है जिसके आधार पर उनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित हो । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 का 1/3 और प्रतिवादी कम 02 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । सहखातेदार मृतक रामस्वरूप का हिस्सा प्रतिवादी कम 2 प्राप्त करने का अधिकारी है इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट के द्वारा पेश नहीं की गई है और ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया है जिसमें कि मृतक रामस्वरूप का 1/4 हिस्सा दर्ज रहा हो । यदि तर्क के लिए अपीलान्ट के कथन को सही मान लिया जावे तो उनका एक भ्राता रामस्वरूप उनके पास निवास करता था तो भी इस आधार पर रामस्वरूप का हिस्सा उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से

अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो, विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/249

मोहन लाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवीस सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज किशन गोपाल ।
2. सत्यनारायण आत्मज किशन गोपाल ।
3. महावीर प्रसाद आत्मज किशन गोपाल ।
4. रामधनी बेवा किशन गोपाल ।
5. कान्ति बाई पुत्री किशन गोपाल ।
6. शांति बाई पुत्री किशन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. मंगीलाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवासी सोहन खेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्या: 75/दावा/2008

1. ओमप्रकाश आत्मज किशन गोपाल ।
2. सत्यनारायण आत्मज किशन गोपाल ।
3. महावीर प्रसाद आत्मज किशन गोपाल ।

4. रामधनी बेवा किशन गोपाल ।
5. कान्ति बाई पुत्री किशन गोपाल ।
6. शांति बाई पुत्री किशन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. मंगीलाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवासी सोहन खेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. मोहन लाल आत्मज चतुर्भुज जी जाति ब्राह्मण निवीस सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें ।

2. यह अपील तारीख 03.09.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री किशन अग्रवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा